

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

पूरणसिंह

बनाम

प्रेमसिंह

किस्म मुकदमा :- राजस्व वाद, नम्बर :- 342/2015

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
09.07.215	<p>वकील वादी उपस्थित।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र-चावण्डियाकलां में पत्रावली पेश हुई। वादी ने दावा अब्तर्गत धारा 88 RT Act. के तहत पेश किया। वादी का दावा दर्ज रजिस्टर हो। वादी ने निवेदन किया कि मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 163 कुल किता 01 कुल रकबा 46-01 बीघा में पुनमसिंह दर्ज हैं। वास्तविक नाम पूरणसिंह हैं। सबूत में वादी मूलाराम ने पहचान-पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रमाण पत्र की छाया प्रतियां पेश की हैं। वादी ने दावा डिक्री करने का निवेदन किया हैं।</p> <p>राजस्व लोक अदालत में मजमा-ए-आम में जाबकारी प्राप्त की गई। मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 163 कुल किता 01 कुल रकबा 46-01 बीघा में वादी का नाम पुनमसिंह दर्ज हैं जबकि सबूत के आधार पर पूरणसिंह बख्शी साबित हैं। वाद के समर्थन में पहचान-पत्र, राशनकार्ड की छाया प्रतियां पेश की हैं। पुनमसिंह के स्थान पर पूरणसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझते हैं।</p> <p>अतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 163 कुल किता 01 कुल रकबा 46-01 बीघा भूमि में पुनमसिंह के स्थान पर पूरणसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल गिसल किया जावे। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाबता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।</p>	


SDO

डिक्री बमुकदमें इस्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण
जिलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0
वादी :- बनाम प्रतिवादी :-

पूरणसिंह पुत्र हनुमानसिंह
जाति राजपुत
निवासी-चावण्डियाकलां
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
(राज.)

प्रेमसिंह पुत्र हनुमानसिंह
जाति राजपुत
निवासी-चावण्डियाकलां
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
(राज.)

राजस्व वाद बाबत घोषणा, व स्थाई

मु0न0 :रा0वा0 स0: 34.2/2015

निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वारते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी स्वयं वादी गिनजानिब मुद्धई व प्रतिवादी गिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अगार की सादिर की जाती हैं कि मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 163 कुल किता 01 कुल रकबा 46-01 बीघा भूमि में पुनमसिंह के स्थान पर पूरणसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकगील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य गण्डार जमा हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय रूद व शहर-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व गोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा

चावण्डियाकलां में आज तारीख 09/07/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)



रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
रटामप अर्जी दावा		रटामप वकालतनामा		
रटामप वकालतनामा		रटामप अर्जी		
रटामप वजह सबूत		महनताना वकील		
महनताना वकील		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान		फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक		

गिजान:-

गिजान:-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।